सं. 31011/8/2017-स्था.(क-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना क-IV डेस्क

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 19 सितंबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के उपरांत एलटीसी (छुट्टी यात्रा रियायत) के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों की यात्रा-पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 23.09.2008 के का.ज्ञा.सं. 31011/4/2008-स्था-क-IV का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि सरकारी दौरे/स्थानांतरण अथवा एलटीसी के उद्देश्य से यात्रा पात्रताएं पूर्ववत रहेंगी किंतु एलटीसी पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावा, यह सुविधा केवल सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम द्वारा संचालित वाहनों में की गई यात्रा के संबंध में ही स्वीकार्य होगी।

2. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की यात्रा भत्ता पात्रताओं से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा.सं. 19030/1/2017-ई- IV के तहत यात्रा भत्ता (टीए) नियमों में परिवर्तन किया गया है।

3. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से स्तर 8 के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा की पात्रता; जिसकी केवल यात्रा भत्ता (टीए) के संबंध में ही अनुमति है न कि एलटीसी के लिए; को छोड़कर एलटीसी के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों की यात्रा पात्रताएं, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा. के तहत यथाअधिसूचित यात्रा भत्ता पात्रताओं के समान ही रहेंगी।

4. इसके अलावा, निम्नलिखित शर्तों को भी ध्यान में रखा जाए:

i. एलटीसी पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
ii. किसी आकस्मिक व्यय तथा स्थानीय यात्राओं पर किया गया व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।
iii. एलटीसी के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम द्वारा संचालित वाहनों में की गई यात्रा के संबंध में ही स्वीकार्य होगी।
iv. परिवहन के किसी सार्वजनिक/सरकारी साधन से नहीं जुड़े हुए स्थानों के मध्य यात्रा के मामले में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर निजी/व्यक्तिगत परिवहन

कवर की गई अधिकतम 100 किमी. की सीमा के लिए स्थानांतरण पर यात्रा हेतु उसकी पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी। इससे अधिक हुए व्यय को सरकारी कर्मचारी द्वारा वहन किया जाएगा।

v. अब, एलटीसी पर प्रीमीयम ट्रेनों/प्रीमीयम तत्काल ट्रेनों/सुविधा ट्रेनों द्वारा करने की अनुमति है। इसके अलावा, एलटीसी के उद्देश्य से, तत्काल प्रभारों की प्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य होगी।

vi. एलटीसी पर राजधानी/शताब्दी/दूरंतो ट्रेनों द्वारा की गई यात्रा (यात्राओं) के लिए इन ट्रेनों में लागू फ्लैक्सी फेअर (डायनामिक फेअर) स्वीकार्य होगा। यह डायनामिक फेअर घटक ऐसे मामलों में स्वीकार्य नहीं होगा, जहां कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी जो हवाई जहाज द्वारा यात्रा हेतु पात्र नहीं है वह हवाई जहाज द्वारा यात्रा करे तथा राजधानी/शताब्दी/दूरंतो ट्रेनों की पात्र श्रेणी के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करे।

5. **यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।**

सूर्य नारायण झा
19.9.17

(सूर्य नारायण झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस का.ज्ञा. को इस विभाग की वेबसाईट (का.ज्ञा./आदेश << स्थापना << एलटीसी नियम) पर अपलोड करें।